



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273084
CG-DL-E-03062026-273084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]
No. 365]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.146.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 210, 213, 214 और 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2 में,
(i) उप-विनियम (1) में -

(क) खंड (ठक) में, "अनुसूची के प्ररूप घ में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से

अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ठक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ठख) “विवाद की सूचना” से ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए, जारी किए गए चूक के प्रमाणन की स्थिति अभिप्रेत है;”

(ग) खंड (त) का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ‘ऋणी’ पद के प्रति निर्देश में ‘कारपोरेट ऋणी’ शामिल होगा।”

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में,

(क) उप-विनियम (1) में, “अनुसूची के प्ररूप क में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (2) में, “अनुसूची के प्ररूप क में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (4) के खंड (ड) में, “अनुसूची के प्ररूप ख में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (3) के खंड (खक) में, -

(क) मद (ii) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (iii) में, अंत में आने वाले “।” विराम चिह्न के स्थान पर “;और” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

(ग) मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(iv) विवाद की सूचना का जारी किया जाना।”

6. मूल विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (1) में “अनुसूची के प्ररूप ग में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल विनियमों के विनियम 21 में,

(i) उप-विनियम (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) में, -

(क) “अनुसूची के प्ररूप ग में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(क) ऐसे वित्तीय लेनदार द्वारा, जो संहिता की धारा 3 के खंड (14) में यथा-परिभाषित एक वित्तीय संस्था है;”

(ii) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) उप-विनियम (2) के अधीन प्रक्रिया के पूरा होने पर, इनफॉर्मेशन यूटिलिटी चूक की जानकारी के प्रमाणन की

स्थिति नीचे दी गई सारणी में उपदर्शित रूप में अभिलिखित करेगी:

सारणी

क्रम सं.	ऋणी का प्रत्युत्तर	स्थिति	जारी किए जाने वाले अभिलेख की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(क) ऋणी चूक की सूचना की पुष्टि करता है या ऋणी तीन अनुस्मारकों के पश्चात् भी कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है	प्रमाणित	चूक का अभिलेख
2	ऋणी चूक की सूचना को विवादित करता है	विवादित	विवाद की सूचना

परन्तु संहिता की धारा 3 के खंड (14) में यथा-परिभाषित वित्तीय संस्था की दशा में, जब कोई ऋणी चूक की रकम के एक भाग को विवादित करता है या ऐसा विवाद कोई गैर-वित्तीय जानकारी की बाबत है तब इनफॉर्मेशन यूटिलिटी अविवादित चूक रकम की बाबत प्रमाणन की स्थिति को 'प्रमाणित' के रूप में लेखबद्ध करेगा।"

(iii) उप-विनियम (4) में,

- (क) "यथास्थिति, सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (4) में यथा-उपदर्शित सुसंगत रंग को" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) "अनुसूची के प्ररूप घ में चूक का अभिलेख" शब्दों के स्थान पर "ऊपर सारणी के स्तंभ (4) में यथा-उपदर्शित चूक का अभिलेख या विवाद की सूचना, ऐसे प्ररूप में, जैसा बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल विनियमों के विनियम 21क में,

- (i) शीर्षक में, "चूक का अभिलेख" शब्दों के स्थान पर, "चूक का अभिलेख या विवाद की सूचना" शब्द रखे जाएंगे
- (ii) उप-विनियम (1) में "अनुसूची के प्ररूप घ में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) उप-विनियम (3) में,
- (क) "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक" शब्दों के स्थान पर "संहिता की धारा 3 के खंड (14) में यथा-परिभाषित वित्तीय संस्थाएं" शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) " "विवादित" रूप में प्रमाणन की प्रास्थिति वाली चूक का अभिलेख" शब्दों के स्थान पर "विवाद की सूचना" शब्द रखे जाएंगे।

9. मूल विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (1) में "अनुसूची के प्ररूप ग में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल विनियमों में, विनियम 42 के पश्चात् "अनुसूची" का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./135/2026-27]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 616 में तारीख 13 अगस्त, 2024 को अधिसूचना सं.

आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.114, तारीख 13 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG146.— In exercise of the powers conferred by sections 196, 210, 213, 214, 215 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2,

(i) in sub-regulation (1)-

(a) in clause (la), for the words "Form D of the Schedule", the words "such format as notified by the Board through circular" shall be substituted.

(b) after clause (la), the following clause shall be inserted, namely:-

"(lb) "Information of dispute" means the status of authentication of default issued in such format as notified by the Board through circular;"

(c) clause (p) shall be omitted.

(ii) after sub-regulation (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation: For the purpose of these regulations, unless the context otherwise requires, reference to the term 'debtor' shall include 'corporate debtor'."

3. In the principal regulations, in regulation 4,

(a) in sub-regulation (1), for the words "Form A of the Schedule", the words "such format as notified by the Board through circular" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2), for the words "Form A of the Schedule", the words "such format as notified by the Board through circular" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 5, in sub-regulation (4), in clause (e), for the words "Form B of the Schedule", the words "such format as notified by the Board through circular" shall be substituted.

5. In the principal regulations, in regulation 15, in sub-regulation (3), in clause (ba),-

(a) in item (ii), the word "and" occurring at the end, shall be omitted;

(b) in item (iii), for the punctuation mark "." occurring at the end, the words and punctuation mark " ; and" shall be substituted;

(c) after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

"(iv) issuance of information of dispute."

6. In the principal regulations, in regulation 20, in sub-regulation (1), for the words "Form C of the Schedule", the words "such format as notified by the Board through circular" shall be substituted.

7. In the principal regulations, in regulation 21,

(i) in sub-regulation (2), in clause (c), in sub-clause (iii), -

(a) for the words "Form C of the Schedule", the words "such format as notified by the Board through circular" shall be substituted.

(b) for item (A), the following shall be substituted, namely:—

“(A) by a financial creditor, which is a financial institution as defined in clause (14) of section 3 of the Code;”

(ii) for sub-regulation (3) the following shall be substituted, namely:—

“(3) On completion of the process under sub-regulation (2), the information utility shall record the status of authentication of information of default as indicated in the table below:

TABLE

<i>Sl. No.</i>	<i>Response of the Debtor</i>	<i>Status</i>	<i>Nature of Record to be issued</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	(a) Debtor confirms the information of default, or (b) Debtor does not respond even after three reminders	Authenticated	Record of Default
2	Debtor disputes the information of default	Disputed	Information of Dispute

Provided that in case of financial institution as defined in clause (14) of section 3 of the Code, when a debtor disputes a part of the default amount or such dispute is in respect of only non-financial information, then the information utility shall record the status of authentication as ‘authenticated’ in respect of the undisputed default amount.”

(iii) in sub-regulation (4),

- (a) the words “of the relevant colour, as indicated in column (4) of the Tables 1 or 2, as the case may be,” shall be omitted.
- (b) for the words “a record of default in Form D of the Schedule”, the words “a record of default or information of dispute in such format as notified by the Board through circular, as indicated in column (4) of the Table, above,” shall be substituted.

8. In the principal regulations, in regulation 21A,

- (i) in the heading, for the words “a record of default”, the words “a record of default or information of dispute” shall be substituted.
- (ii) in sub-regulation (1), for the words “Form D of the Schedule”, the words “such format as notified by the Board through circular” shall be substituted.
- (iii) in sub-regulation (3),
- (a) for the words “banks included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934”, the words “financial institutions as defined in clause (14) of section 3 of the Code” shall be substituted;
- (b) for the words “a record of default with the status of authentication as ‘disputed’”, the words “information of dispute” shall be substituted;

9. In the principal regulations, in regulation 27, in sub-regulation (1) for the words “Form C of the Schedule”, the words “such format as notified by the Board through circular” shall be substituted.

10. In the principal regulations, “SCHEDULE” after regulation 42 shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./135/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2024 published vide notification No. IBBI/2024-25/GN/REG114, dated the 13th August, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 616 on 13th August, 2024.